प्रेस प्रकाशनी

अक्तूबर 2009

सिक्किम में बैंकिंग की पहुंच को सुधारने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के उपाय

1 अक्तूबर 2009

बैंक अगले नौ महीने के भीतर सिक्किम राज्य में अतिरिक्त मुद्रा तिजोरियां खोलेंगे ताकि राज्य के सभी जिला मुख्यालयों को कवर किया जा सके। बैंक तथा राज्य प्रशासन भी सिक्किम में ऋण के प्रवाह को बढ़ाने के लिए समन्वय के साथ कार्य करेंगे। साथ ही, राज्यस्तरीय बैंकर समिति (एसलबीसी) के कामकाज को राज्य सरकार की ओर से उच्चस्तरीय सहभागिता के जरिए सुदृढ़ किया जाएगा। वाणिज्य बैंक एवं सिक्किम का राज्य सहकारी बैंक राज्य के बैंकरहित अधिकतर ब्लाकों में नई शाखाएं खोलने के लिए सहमत हो गए हैं और शेष ब्लाकों में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने हेतु बैंक बैंकिंग संपर्कियों के माध्यम से आइटी समर्थित सेवाएं देंगे।

ये वे प्रमुख निर्णय थे जो डॉ. डी. सुब्बाराव, गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक के सिक्किम के आदरणीय मुख्यमंत्री श्री पवन चामलिंग तथा राज्य के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों तथा वरिष्ठ बैंकरों से मिलने के बाद लिए गए। गवर्नर के साथ बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रत्येक जिला मुख्यालय में कम-से-कम एक मुद्रा तिजोरी, सभी बैंकरहित ब्लाकों में एक बैंक शाखा खोलने और राज्य में ऋण प्रवाह बढ़ाने की आवश्यकता का उल्लेख किया।

मेसर्स भारत फाइनेन्स कार्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया गया

7 अक्तूबर 2009

भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार करने के लिए मेसर्स भारत फाइनेन्स कार्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय 20/1, आसफ

अली रोड, नई दिल्ली-110002 है, को जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र दिनांक 31 अगस्त 2009 को रद्द कर दिया है। पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किए जाने के बाद कंपनी, गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार नहीं कर सकती है।

मेसर्स सन कंपोनेन्टस लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया गया

7 अक्तूबर 2009

भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार करने के लिए मेसर्स सन कंपोनेन्टस लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय : 1598, मेन बाज़ार, पहाड़गंज, नई दिल्ली-110055 है, को जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र दिनांक 31 अगस्त 2009 को रद्द कर दिया है क्योंकि कंपनी ने स्वेच्छा से गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था के कारोबार से हटने का विकल्प चुना है। पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किए जाने के बाद कंपनी गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार नहीं कर सकती है।

के.एन.आर. फाइनेन्स एण्ड इनवेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया गया

7 अक्तूबर 2009

भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार करने के लिए मेसर्स के.एन.आर. फाइनेन्स एण्ड इनवेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय सं.3, पहली मंज़िल, श्री विष्णु कॉम्प्लेक्स, बी.एम. रोड, चन्नारायापटना-573116 है, को जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र दिनांक 14 सितंबर 2009 को रद्द कर दिया है। पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किए जाने के बाद कंपनी गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार नहीं कर सकती है।

विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा संविभाग निवेश योजना के अधीन निवेश : इवेरॉन सिस्टम्स इंडिया लिमिटेड

7 अक्तूबर 2009

भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अधिसूचित किया है कि इवेरॉन सिस्टम्स इंडिया लिमिटेड में विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआइआइ) की संविभाग निवेश योजना के अंतर्गत सकल शेयर धरिता उनकी चुकता पूँजी की तय सीमा तक पहुँच गई है। अत: भारतीय रिज़र्व बैंक के पूर्व अनुमोदन के बाद ही प्राथमिक/द्वितीयक बाज़ार में इस कंपनी के इक्विटी शेयरों की आगे खरीद की अनुमति दी जाएगी।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने एक्सबीआरएल समर्थित ऑन-लाइन विवरणियाँ भरने की व्यवस्था उपलब्ध कराई

14 अक्तूबर 2009

भारतीय रिज़र्व बैंक ने इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जानकारी प्रस्तुत करने हेतु बैंकों के लिए ऑन-लाइन विवरणी फाइलिंग प्रणाली लागू की है। वित्तीय रिपोर्टिंग क्षेत्र में उभरते वैश्विक मानकों को ध्यान में रखते हुए रिज़र्व बैंक ने बासेल II के दिशानिर्देशों के अनुसार विकसित विनियामक विवरणियों को रिपोर्ट (आरसीए 2) करने के लिए एक्सटेंशिबल बिज़नेस रिपोर्टिंग लँग्वेज (एक्सबीआरएल) वर्गीकरण को अपनाया है।

बैंकों को हाईपर लिंक के माध्यम से ओआरएफएस/ एक्सबीआरएल विवरणियाँ प्रस्तुत करने की सुविधा उपलब्ध कराने के अतिरिक्त ओआरएफएस पृष्ठ पर बैंकों और अन्य हितग्राहियों के लिए एक्सबीआरएल के क्षेत्र में वर्तमान गतिविधियों पर उपयोगी जानकारी का वर्गीकरण भी उपलब्ध कराया गया है। वर्तमान में, बैंक इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में तथा भारतीय रिज़र्व बैंक की सुरक्षित वेबसाइट के माध्यम से भी

विवरणियाँ फाइल कर सकते हैं और अब से वे एक्सबीआरएल समर्थित ऑन-लाइन विवरणियाँ भरने की व्यवस्था के माध्यम से भी विवरणियाँ भर सकते हैं। वे भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट (www.rbi.org.in) पर 'बैंकरों के लिए' लिंक के माध्यम से भी ऑन-लाइन विवरणियाँ भर सकते हैं। 'बैंकरों के लिए' लिंक में 'ऑन-लाइन रिपोर्टिंग' नाम से एक नया पृष्ठ उपलब्ध कराया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक वार्षिक और त्रैमासिक वित्तीय विवरणों सहित अन्य कई विवरणियों के लिए वर्गीकरण अपनाने की प्रक्रिया में है।

पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया

15 अक्तूबर 2009

भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार करने के लिए निम्नलिखित कंपनियों, जिनका पता उनके नाम के सामने दर्शाया गया है, को जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किए जाने के बाद ये कंपनियाँ गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार नहीं कर सकती हैं।

कंपनी का नाम	पंजीकृत कार्यालय का पता	पंजीकरण प्रमाणपत्र संख्या और दिनांक	पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त करने की तारीख
मेसर्स पीकोड फाइनान्स कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	दिल्ली रोहतक रोड, तहसील के सामने, बहादुरगढ-124507 (हरियाणा)	बी 14.01890 दिनांक 04 सितंबर 2000	31 अगस्त 2009
मेसर्स स्वर्ण फिनवेस्ट प्राइवेट लिमिटेड	737, दूसरी मंजिल, शिबसहाय बिल्डिंग, चर्च मिशन रोड, फतेहपुरी, दिल्ली-110006	बी 14.02255 दिनांक 24 जुलाई 2002	31 अगस्त 2009
मेसर्स उत्कर्ष फिनवेस्ट प्राइवेट लिमिटेड	4/3550, गली नं. 10, सिद्धार्थ गली, विश्वास नगर, शाहदरा, दिल्ली-110032	बी 14.02070 दिनांक 14 नवंबर 2000	03 सितंबर 2009
मेसर्स वटिका पोर्टफोलिओ प्राइवेट लिमिटेड	जी-56, अशोक विहार, फेज I, नई दिल्ली-110052	14.02122 दिनांक 25 नवंबर 2000	03 सितंबर 2009

पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया

22 अक्तूबर 2009

भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार करने के लिए निम्नलिखित कंपनियों, जिनका पता उनके नाम के सामने दर्शाया गया है, को जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किए जाने के बाद ये कंपनियाँ गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार नहीं कर सकती हैं।

कंपनी का नाम	पंजीकृत कार्यालय का पता	पंजीकरण प्रमाणपत्र संख्या और दिनांक	पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त करने की तारीख
मेसर्स लीजमेंट इन्वेस्टो (इंडिया) लिमिटेड	दूसरी मंजिल, 157 कपिल विहार, मेन रोड, पितमपुरा, दिल्ली-110034	14.01382 दिनांक - 30 नवंबर 1998	02 सितंबर 2009
मेसर्स खेमसन्स ग्लोबल लिमिटेड	57डी, खिज्राबाद, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के नजदीक, नई दिल्ली-110065	14.01259 दिनांक - 22 सितंबर 1998	31 अगस्त 2009
मेसर्स रेक्स फाइनेन्सियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	307, अजेश हाऊस 16/3 अब्दुल अजीज रोड, डब्ल्यूईए करोल बाग, नई दिल्ली-110005	बी 14.00714 दिनांक - 30 अप्रैल 1998	31 अगस्त 2009

रिज़र्व बैंक ने सुरत महिला नागरिक सहकारी बैंक लि., सुरत (गुजरात)का लाइसेंस रद्द किया

22 अक्तूबर 2009

सुरत महिला नागरिक सहकारी बैंक लि., सुरत (गुजरात) के अर्थक्षम नहीं रह जाने, बैंक के कार्यकलाप जमाकर्ताओं के हितों के प्रतिकूल होने तथा सतत अनिश्चितता के कारण जमाकर्ताओं को होनेवाली असुविधा के परिप्रेक्ष्य में भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक को दिया गया लाइसेंस रद्द करने का आदेश 20 अक्तूबर 2009 को कारोबार की समाप्ति के बाद जारी किया। सहकारी समितियों के निबंधक, गुजरात राज्य से बैंक के समापन और उसके

लिए समापक नियुक्त करने का आदेश जारी करने का अनुरोध किया गया है। उल्लेख किया जाता है कि बैंक के समापन पर हर जमाकर्ता निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआइसीजीसी) से सामान्य शर्तों के अधीन 1,00,000 (एक लाख रुपये मात्र) रुपये की मौद्रिक सीमा तक अपनी जमाराशियों को वापस पाने का हकदार होता है।

लाइसेंस रद्द किये जाने के अनुसरण में सुरत महिला नागरिक सहकारी बैंक लि., सुरत (गुजरात) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 5(ख) के अंतर्गत, जमाराशियां स्वीकार करने और उन्हें वापस लौटाने सहित, बैंकिंग कारोबार करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

किसी भी स्पष्टीकरण के लिए जमाकर्ता श्री सी.एन.मोदी, सहायक महाप्रबंधक, शहरी बैंक विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, अहमदाबाद से संपर्क कर सकते हैं। उनका संपर्क का ब्यौरा निम्नानुसार है:

डाक पता : शहरी बैंक विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, अहमदाबाद क्षेत्रीय कार्यालय, ला गज्जर चेंबर्स, आश्रम रोड, अहमदाबाद -380009; टेलीफोन नंबर : (079) 26589338; फैक्स नंबर : (079) 26584853 ।

रिज़र्व बैंक ने सुविधा महिला नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, होशंगाबाद (म.प्र.) का लाइसेंस रद्द किया

26 अक्तूबर 2009

सुविधा महिला नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, होशंगाबाद (म.प्र.) के अर्थक्षम नहीं रह जाने और मध्य प्रदेश सरकार के परामर्श से बैंक को पुनर्जीवित करने के प्रयास असफल हो जाने तथा सतत अनिश्चितता के कारण जमाकर्ताओं को होनेवाली असुविधा के परिप्रेक्ष्य में भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंक को दिया गया लाइसेंस रद्द करने का आदेश 21 अक्तूबर 2009 को कारोबार की समाप्ति के बाद जारी किया। सहकार समितियों के निबंधक, मध्य प्रदेश राज्य से भी बैंक के समापन और उसके लिए समापक नियुक्त करने का आदेश जारी करने का अनुरोध किया गया है। उल्लेख किया जाता है कि बैंक के समापन पर हर जमाकर्ता निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआइसीजीसी) से सामान्य शर्तों के अधीन 1,00,000 (एक लाख रुपये मात्र) रुपये की मौद्रिक सीमा तक अपनी जमाराशियों को वापस पाने का हकदार होता है।

लाइसेंस रद्द किये जाने के अनुसरण में सुविधा महिला नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, होशंगाबाद (म.प्र.) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 5(ख) के अंतर्गत जमाराशियां स्वीकार करने और उन्हें वापस लौटाने सहित बैंकिंग कारोबार करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

किसी भी स्पष्टीकरण के लिए जमाकर्ता श्री डी.के.बक्षी उप महाप्रबंधक, शहरी बैंक विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, भोपाल से संपर्क कर सकते हैं। उनका संपर्क का ब्यौरा निम्नानुसार है :

डाक पता : शहरी बैंक विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, पोस्ट बॉक्स सं. 32, होशंगाबाद रोड, भोपाल-462016 टेलीफोन नंबर (0755) 2555072/2762485, फैक्स (0755) 2554515 ।

उत्तर पूर्वी राज्यों और सिक्किम में टियर 3 से टियर 6 केंद्रों तथा ग्रामीण, अर्ध-शहरी और शहरी केंद्रों में शाखाएँ खोलने के लिए देशी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को स्वतंत्रता

27 अक्तूबर 2009

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा गठित एक कार्यदल ने अनुशंसा की है कि देशी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय

ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) को रिपोर्ट करने की शर्त के अधीन भारतीय रिज़र्व बैंक से पूर्व अनुमति लिए बिना टियर 3 से टियर 6 केंद्रों (49,999 तक की जनसंख्या वाले केंद्रों) में शाखाएँ खोलने की स्वतंत्रता दी जाए।

इस दल ने यह अनुशंसा भी की है कि देशी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रमीण बैंकों को छोड़कर) को उत्तर पूर्वी राज्यों और सिक्किम में ग्रामीण, अर्ध-शहरी और शहरी केंद्रों में शाखाएँ खोलने के लिए सामान्य अनुमति दी जाए।

इस दल ने आगे यह भी अनुशंसा की है कि बैंक टियर 1 और टियर 2 केंद्रों (वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार 50,000 और उससे अधिक की जनसंख्या वाले केंद्रों) में शाखाएँ खोलने की पूर्व अनुमति के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक से संपर्क करें। ऐसे आवेदनों के आधार पर उन शाखाओं की संख्या जिन्हें भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्राधिकृत किया जाएगा, अन्य बातों के साथ-साथ इस अपेक्षा सहित कि बैंक अपना वार्षिक शाखा विस्तार इस तरीके से करे कि किसी वित्तीय वर्ष में खोली जाने वाली कुल शाखाओं की कम-से-कम एक तिहाई संख्या कम बैंक सुविधा वाले राज्यों के कम बैंक सुविधा वाले जिलों और वित्तीय सुविधा से वंचित जिलों में हों तथा ग्रामीण शाखाओं में ऋण वृद्धि की दर, ग्रामीण क्षेत्रों में जमा खातों की संख्या में वृद्धि तथा 25,000/-रु. से कम के ऋण खातों में वृद्धि अदि जैसे वित्तीय समावेशन के लक्ष्य की प्राप्ति के प्रति बैंक द्वारा किए गए उपायों के महत्वपूर्ण आकलनों पर भी निर्भर करेगी।

दल ने यह अनुशंसा भी की है कि विदेशी बैंकों के संबंध में शाखा प्राधिकरण नीति विदेशी बैंकों की रूपरेखा की समीक्षा तक अपरिवर्तित रहेगी।

दल का यह विचार भी है कि बैंकिंग प्रसार तथा वित्तीय समावेशन को सुनिश्चित करने के लिए आगे जाकर भौतिक 'पारंपरिक' शाखा प्रतिदर्श और ऑफ-साइट एटीएम/विक्रय टर्मिनल विन्दु, कारोबारी संवाददाता प्रतिदर्श, मोबाइल बैंकिंग अदि जैसे शाखा-विहीन प्रतिदर्शों का समुचित संयोजन होगा और प्राथमिक रूप से इसे स्वयं बैंकों पर छोड़ दिया जाएगा कि वे यह निर्णय करें कि किसी क्षेत्र की विशेष आवश्यकताओं पर निर्भर करते हुए किसी खास क्षेत्र में बैंकिंग सेवाएँ प्रदान करने में कौन-सा प्रतिदर्श उपयुक्त होगा।

हाल की रियायत

जहाँ तक ऑफ-साइट एटीएम का संबंध है, प्रत्येक मामले में रिज़र्व बैंक से अनुमति लेने की आवश्यकता के बिना बैंकों को रिपोर्टिंग के अधीन 12 जून 2009 से ऑफ-साइट एटीएम संस्थापित करने की सामान्य अनुमति प्रदान की गई है। तथापि, यह उस किसी भी निर्देश के अधीन है जिसे ऐसे किसी ऑफ-साइट एटीएम को बंद करने/हटाए जाने सहित जहाँ कहीं रिज़र्व बैंक आवश्यक समझे जारी कर सकता है।